

प्रेषक,

राधे मोहन श्रीवास्तव,
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी
विधि कोष्ठक, महाधिवक्ता कार्यालय,
मा०उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा- प्रमुख सचिव न्याय, एवं विधि परामर्शी,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

संख्या: ए०एल०आर-ए/जी/विविध- 221 दिनांक १५-५-२०२४
विषय: आवासीय भूखण्ड क्रय किये जाने हेतु पूर्व अनुमति के सम्बन्ध में।
महोदय,

सादर निवेदन है कि एक किता आवासीय भूखण्ड आराजी नं०-४६१ रकबा ०.१२६० हे० व आराजी नं० ४५२ रकबा ०.१३६० हे० २ गाटा मे से कुल रकबा ०.२६५० में से रकबा २४०५ वर्गफिट यानी २२३.५१३ वर्गमीटर वाके मौजा बसही टप्पा ८४ परगना कंतित तहसील सदर जिला मीरजापुर की मालिक काबिज श्रीमती ऋचा दुबे पत्नी श्री श्यामदत्त दुबे निवासी ग्राम हरिपुर बरसठी तहसील मडियाहूं जिला जौनपुर व्यवसाय ग्रहणी हैं जिनके द्वारा मुझे उक्त भूखण्ड विक्रय किये जाने हेतु सप्रतिफल मु०१५०००००/-रु० में स्वेच्छया सहमत हैं। उक्त विक्रेता मुझसे किसी भी प्रकार से सम्बन्धित नहीं हैं और न ही मेरे द्वारा न्यायालय में कार्य करने के दौरान अथवा बर्तमान में शासकीय कार्य के दौरान उनका कोई मामला मेरे न्यायालय/कार्यालय में लम्बित रहा है और न ही मेरे द्वारा निर्णीत किया गया है। विक्रय अनुबन्ध के अनुसार प्रतिफल की धनराशि मे से बतौर अग्रिम मु०५०००/-रु० जरिये एस०बी०आई० चेक २१४५०३ दिनांक १५.०५.२०२४ द्वारा विक्रेता को अदा किया गया है अवशेष धनराशि मु०१४६५०००/-रु० विक्रयपत्र के निष्पादन के समय मेरे द्वारा अपने वेतन खाते से अदा किया जायेगा।

अतः विक्रय अनुबन्ध विलेख की प्रतिलिपि, संलग्न प्रारूप आवेदन के साथ संलग्न करते हुये निवेदन है कि मुझे उपरोक्त वर्णित आवासीय भूखण्ड क्रय किये जाने की अनुमति हेतु पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें।

तदनुसार सादर प्रेषित है।

संलग्नक: यथा उपरोक्त।

सादर।

भवदीय,



(राधे मोहन श्रीवास्तव)

विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी

उत्तर प्रदेश शासन।

15/05/2024